न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 153/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/173)

रामेश्वर प्रसाद पुत्र मूलचंद जाति कुम्हार निवासी भैडोली तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बौली जिला सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु0नं0 99/2013 रामेश्वर प्रसाद बनाम सरकार निर्णय दिनांक 10.11.2014 व तहसीलदार बौंली निर्णय दिनांक 27.09.2012 उनवान सरकार बनाम रामेश्वर (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री विनोद अग्रवाल वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–27.02.2024

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार बौंली की ओर से पारित निर्णय दिनांक 27.09.2012 व जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 10.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बौली, सवाईमाधोपुर ने सम्वत 2069 में वाकै ग्राम भैडोली तहसील बौली की भूमि चाही आराजी खसरा नम्बर 1837 रकबा 0.25 है0 पर अपीलान्ट द्वारा मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 27.09.2012 पारित करते हुये अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से वेदखल करने एवं 10 दिन के सिविल करावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया था। तहसीलदार के इस आदेश दिनांक 27.09.2012 के खिलाफ अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष पेश की गई। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2014 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार बौली का निर्णय दिनांक 27.09.2012 यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार बौली की ओर से पारित

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2012 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 10.11.2014 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार बौंली द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को विवादित आराजी पर पाश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय किया है, जो कि रिकार्ड व तथ्यों के विपरित है। तहसीलदार बौंली ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर ही विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। इसके लिए न तो अपीलान्ट को पटवारी हल्का द्वारा दिए गए बयानों में जिरह का अवसर दिया गया ओर न ही स्वतन्त्र गवाहों के बयान ही लिये गये। जबकि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 1837 रकबा 0.25 वाकै ग्राम भेडोली पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था और न हीं अपीलान्ट की कोई काश्त ही थी। इसके बाबजूद दोनों तहत अदालतों ने अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पाश्चातवर्ती अतिचारी मानने में अहम भूल की है। इसलिए हर दो तहत अदालतों के आदेश निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर पाश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा, पैनल्टी एवं बेदखली के आदेश पारित किये है, जबकि अपीलान्ट को बेदखल करते वक्त कोई भी स्वतन्त्र गवाहों के मौके पर बयान नहीं लिये गये और ना ही अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर हर दो तहत अदालतों ने अहम भूल की है। अदालत मातहत की पत्रावली में विवादित भूमि से अपीलान्ट को पूर्व में बेदखल किये जाने के संबंध में न तो कोई रिकार्ड ही और न ही कोई गवाहान के बयान ही हैं। अपीलान्ट की ओर से उक्त तथ्य जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में भी उल्लेखित किये थे, परन्तु विद्वान जिला कलक्टर ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय दिनांक 10.11.2014 के द्वारा अपीलान्ट की अपील को खारिज कर तहसीलदार बौंली के निर्णय को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। जबकि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर ना तो पूर्व में कभी कोई कब्जा था और ना ही वर्तमान में कब्जा है और ना ही भविष्य में कभी कब्जा करेगा। हर दो तहत अदालतों ने केवल पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बौंली की ओर से पारित निर्णय दिनांक 27.09.2012 एवं जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट के ग्राम भेडोली के खसरा नंबर 1837 रकबा 0.25 है0 में अतिक्रमण किये जाने व पाश्चातवर्ती अतिचार होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार बौंली के कार्यालय में की गई। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार बौंली द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसमें दिनांक 27.09.2012 को अदालत मातहत में सुनवाई हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। इस नोटिस की विधिवत

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27/2/2015

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तामील होने के बाबजूद भी अपीलान्ट के नियत पेशी पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने पर नियत पेशी को पटवारी हल्का के बयान लिए गए। जिसमें पटवारी हल्का ने विवादित भूमि पर अपीलान्ट का सम्वत् 2069 में अतिक्रमण होने व पूर्व में बेदखल किये जाने का उल्लेख किया। इसके समर्थन में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 09.02.2012 व भौतिक रूप से बेदखल किये जाने की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली में संलग्न की हुई हैं। इसका उल्लेख तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2012 में किया हुआ है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचार नहीं रहा है तथा पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में कोई रिकार्ड तहसीलदार बौंली द्वारा पत्रावली में नहीं लिया गया, सारहीन हो जाता है। तहसीलदार बौंली की ओर से पारित निर्णय दिनांक 27.09.2012 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश की गई प्रथम अपील में अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2014 को पारित किया है। उक्त निर्णय स्पष्ट व स्पीकिंग है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर पाश्चातवर्ती अतिचार नहीं होने के संबंध में सुदृढ़ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। दूसरी ओर अदालत मातहत की ओर से सम्यक जॉच के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया हुआ होना मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर रिपोर्ट वर्ष या पूर्व के वर्षों में अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। दूसरी ओर तहसीलदार बौंली द्वारा विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पाश्चातवर्ती अतिचार होना प्रमाणित होने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2012 पारित किया है। विद्वान जिला कलक्टर द्वारा भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संबंध में स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार बौंली की ओर से पारित निर्णय दिनांक 27.09.2012 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.2.2024

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर